8 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया

सभी को मिली 6-6 लाख रुपये के लोन की मंजूरी

8 एसएचजी को दी गई 48 लाख की ऋण स्वीकृति

जमशेदपुर: झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, भिलाई पहाड़ी मानगो शाखा के द्वारा आज विशेष कैंप का आयोजन किया गया. इस दौरान मानगो नगर निगम अंतर्गत संचालित 8 स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज की स्वीकृति देते हुए योजना का लाभ दिया गया. बैंक के रीजनल मैनेजर मैनेजर आरके सिंह एवं वरीय शाखा प्रबंधक संदीप कुमार के द्वारा समूहों को स्वीकृत होने संबंधी बैंक चेक प्रदान किया. झारखंड ग्रामीण बैंक भिलाई पहाड़ी के द्वारा सभी 8 स्वयं सहायता समूह को कुल 4800000 रुपये की ऋण स्वीकृति दी गई. शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया प्रत्येक समूह को पूरे टर्म के अनुसार 600000 के हिसाब कुल 48 लाख की स्वीकृति दी गई है एवं इस वर्ष स्वयं सहायता समूह को 100000 की स्वीकृति राशि दी जाएगी. इस अवसर पर रीजनल मैनेजर झारखंड ग्रामीण बैंक आरके सिंह, सीनियर मैनेजर क्रेडिट पंकज कुमार पांडे, वरीय शाखा प्रबंधक सह कोऑर्डिनेटर झारखंड ग्रामीण बैंक संदीप कुमार, सीएमएम निर्मल कुमार, सीओ ललिता लंगूरी, मो नदीम, सीआरपी रोमानी हांसदा एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य उपस्थित थे.

आठ स्वयं सहायता समूहों को ₹6-6 लाख का लोन

- झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की भिलाई पहाड़ी शाखा में लगाया कैंप

जमशेदपुर. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, भिलाई पहाड़ी मानगो शाखा की ओर से बुधवार को लगाये गये कैंप में मानगो नगर निगम अंतर्गत संचालित आठ स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज की स्वीकृति दी गयी. शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया प्रत्येक समूह को पूरे टर्म के अनुसार छह लाख के हिसाब 48 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, इस वर्ष स्वयं सहायता समूह को एक लाख की स्वीकृति राशि दी जायेगी. बैंक के रीजनल मैनेजर मैनेजर आरके सिंह एवं वरीय शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने समूहों को स्वीकृत होने संबंधी बैंक चेक प्रदान किया. इस मौके पर मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, सीएमएम निर्मल कुमार, सीनियर मैनेजर क्रेडिट पंकज कुमार पांडे, सीओ ललिता लंगूरी, मो नदीम, सीआरपी रोमानी हांसदा मौजूद थे.

इन समूहों को मिला लोन : कमल स्वयं सहायता समूह, शिव गुरु स्वयं सहायता समूह, मां सरस्वती महिला समिति, शिव साईं महिला समिति, गायत्री महिला समिति, ओम साईं महिला समिति, हो कल्याण महिला समिति, महालक्ष्मी महिला समिति.

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA